-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.01.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरोह बनाकर वाहन चोरी करने वाले एक अन्य गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त (गैंग सदस्य) को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरोह बनाकर वाहनों की चोरी करने वाले गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य वांछित अभियुक्त (गैंग सदस्य) को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त एक संगठित वाहन चोर गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दो पहिया व चार पहिया वाहनों चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था और वांछित चल रहा था जिसे थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को उसके घर पिपरी खेरवा थाना बिसण्डा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अरविन्द पुत्र रामसुमेर निवासी पिपरी खिरवां थाना बिसंडा जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग अभियुक्त अरविन्द उपर्युक्त-

1. मु0अं0सं0 371/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. मु0अं0सं0 390/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. मु0अं0सं0 435/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
4. मु0अं0सं0 485/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
5. मु0अं0सं0 180/25 धारा 317(2)/317(4) बीएनएस थाना बबेरु जनपद बांदा।
6. मु0अ0सं0 04/26, धारा 2(ख)(i)/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री बलराम सिंह प्र0नि0 थाना कोतवाली नगर
2. कां0 संदीप कुमार
3. कां0 पवन